



2026:AHC:67815

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या-- 4451 वर्ष 2026

जमुना प्रसाद याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिवांगी राय, सुजीत कुमार राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता सुश्री शिवांगी राय और श्री सुजीत कुमार राय को सुना।
2. प्रतिपक्षी संख्या-3/अतिरिक्त आयुक्त एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) सहकारी समितियां, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 30.12.2025 के निलंबन के आदेश को चुनौती दी जा रही है।
3. उपरोक्त आदेश उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 4 सपठित नियम 7 के अनुसार पारित किया गया है। नियम, 1999 के नियम 7 में वयस्क दंड लगाने से पहले जांच करने की प्रक्रिया का प्रावधान है और नियम, 1999 के नियम 4 में निलंबन का प्रावधान है जिसके अनुसार एक सरकारी कर्मचारी जिसके आचरण के खिलाफ जांच पर विचार किया जाता है, या कार्यवाही चल रही है, को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक से जांच के समापन तक निलंबित किया जा सकता है। नियम 4 के पहले प्रावधान में प्रावधान है कि निलंबन का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप इतने गंभीर न हों कि उनके स्थापित होने की स्थिति में आमतौर पर बड़े दंड की आवश्यकता हो। नियम, 1999 का नियम 4 इस प्रकार है: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. निलंबन-(1) एक सरकारी कर्मचारी जिसके आचरण के विरुद्ध जांच पर विचार किया जाता है, या कार्यवाही चल रही है, उसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक से जांच के समापन तक निलंबित किया जा सकता है: परन्तु निलंबन का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप इतने गंभीर न हों कि उनके स्थापित होने की स्थिति में आमतौर पर बड़े दंड की आवश्यकता हो:

4. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा इस आधार पर पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा कुछ ऋण लिया गया था जिसे उसके द्वारा चुकाया नहीं गया था। आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि सहायक आयुक्त और सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, प्रयागराज द्वारा 19.12.2025 को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने मूल राशि और ब्याज कुल 23,33,070/- रुपये जोड़कर 30.11.2025 को ऋण लिया है।

आदेश दिनांक 30.12.2025 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, जनपद-प्रयागराज केपत्रांक 3097/सह0-वे 0भो० दिनांक 19.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया हैकि श्री जमुना प्रसाद, प्रधान सहायक द्वारा कार्यालय जिला सहायक निबन्धक कर्मचारी वेतन भोगी सहकारी समिति लि० प्रयागराज सेलियेगयेऋण (दिनांक 30.11.2025 तक मूलधन रू0 1883831.00, ब्याज रू0 449239.00 कुल रू0 2333070.00) का भुगतान न कियेजाने, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक सी- 39/अधि04/वे0भो0/दिनांक 27.11.2019 का विचलन एवं कर्मचारी आचरण नियमावली केविपरीत आचरण किया गया है।

5. अभिलेखों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश इस आधार पर पारित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी जांच पर विचार किया गया है और निलंबन का आदेश केवल इस आधार पर पारित किया गया है कि ऋण नहीं चुकाया गया था। यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं, याचिकाकर्ता पर कोई बड़ा जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. स्थायी अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या-3/अतिरिक्त आयुक्त और अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) सहकारी समितियां, लखनऊ का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए प्रार्थना करता है और उसे दो सप्ताह का समय दिया जाता है कि किन परिस्थितियों में और किस कानून के प्राधिकार के तहत, उनके द्वारा इस तरह का निलंबन आदेश पारित किया गया है।

7. इस मामले को 21.04.2026 को सूचीबद्ध करें।

8. लिस्टिंग की अगली तारीख तक, प्रतिपक्षी संख्या-3(अनुलग्नक संख्या-1) द्वारा पारित 30.12.2025 के निलंबन के आदेश का प्रभाव और संचालन पर रोक रहेगी।

मार्च 31, 2026

सकलेन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)